आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 6 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 मार्च, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

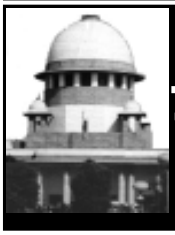

न्यायिक इतिहास में पहला मामला

जस्टिस कर्णन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने किया गिरफ्तारी वारंट जारी

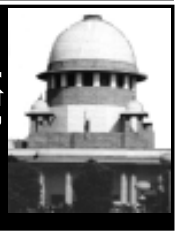

सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अवमानना के एक मामले में 31 मार्च को शीर्ष अदालत के सामने उनकी पेशी सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार न्यायमूर्ति कर्णन भारतीय न्यायिक इतिहास में हाईकोर्ट के ऐसे पहले कार्यरत जज बन गए हैं जिनके खिलाफ अवमानना के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। शीर्ष अदालत की इस कार्यवाही के बाद जस्टिस कर्णन ने पलटवार किया और इस आदेश को 'असंवैधानिक' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाले सात जजों की वृहद पीठ ने अवमानना नोटिस भेजे जाने के बावजूद अदालत में कर्णन के पेश नहीं होने का गंभीरता से संज्ञान लिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिया कि जज पर वारंट की तामील कराएं ताकि 31 मार्च को सुबह साढ़े दस बजे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पुलिस महानिदेशक द्वारा न्यायमूर्ति कर्णन को जमानती वारंट सौंपा जाता है तो वह प्रशंसा करेगी।

शीर्ष अदालत के इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल थे। पीठ ने कहा कि इस याचिका के नोटिस विधिवत जारी किए गए हैं। इसके बावजूद जहां न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन की व्यक्तिगत उपस्थिति शीर्ष अदालत में अनिवार्य थी, वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकील के जरिए पेश हुए।

पीठ ने कहा कि इसे देखते हुए जमानती वारंट जारी करके न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसके अनुसार आदेश दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि पर निजी मुचलके के रूप में 10 हजार रुपए का जमानती वारंट यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि न्यायमूर्ति कर्णन इस अदालत में 31 मार्च को सुबह साढ़े दस बजे उपस्थित हों।

पीठ ने खचाखच भरी मुख्य न्यायाधीश की अदालत के कक्ष में हुई 15 मिनट की सुनवाई में न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा आठ मार्च को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भेजे गए फैक्स संदेश का जिक्र किया। इसमें खास प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक के लिए कहा गया था।

पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि संदेश मुख्य रूप से कुछ खास जजों पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रदर्शित करता है। न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा आठ मार्च के फैक्स संदेश को अवमानना याचिका या उन्हें भेजे गए नोटिस पर उनका जवाब नहीं माना जा सकता। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि न्यायमूर्ति कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और अवमानना के मामले में शीर्ष अदालत के नियमों में अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित रूप से लिखे अपमानजनक खुले पत्रों को प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और अन्य को सम्बोधित किए जाने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। आठ फरवरी को शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति कर्णन को अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह सफाई देने का निर्देश दिया था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जानी चाहिए। अदालत ने न्यायमूर्ति कर्णन को कोई भी न्यायिक और प्रशासनिक काम करने से भी रोक दिया था। लेकिन न्यायमूर्ति कर्णन 13 फरवरी को शीर्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

न्यायमूर्ति कर्णन ने 10 फरवरी को शीर्ष अदालत को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कथित रूप से दलित होने का मुद्दा उठाया और शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि यह मामला संसद को सौंपा जाए क्योंकि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं चल सकती। न्यायमूर्ति कर्णन ने इस पत्र में कहा था- मुझसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने से पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि अदालतों को हाई कोर्ट के पीठासीन जज के खिलाफ सजा को लागू करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश तर्क के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह अमल के उपयुक्त नहीं है।

सुनवाई की पिछली तारीख पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल ने कहा था कि हाई कोर्ट के जजों को कर्णन की मौखिम अभद्र भाषा और बे सिर-पैर के आरोपों से संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि संबंधित जज ने हाई कोर्ट के एक पीठासीन जज पर बलात्कार का आरोप लगाया है।

जस्टिस कर्णन ने कहा, 'हर्जाने के तौर पर मांगा 14 करोड़ का मुआवजा'

सुप्रीम कोर्ट से जारी वारंट को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सी.एस. कर्णन ने असंवैधानिक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। बिना जांच, सुबूत और चर्चा के वारंट जारी किया गया है। यह आदेश मेरी जिंदगी और कैरियर बर्बाद करने के लिए जानबूझकर जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह जातिगत मुद्दा है। एक दलित जज को काम नहीं करने दिया जा रहा है। यह अत्याचार है। जस्टिस कर्णन ने राष्ट्रपति से वारंट रद्द करने और मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के लिए भी कहा है। इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रपति और सीबीआई निदेशक को स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है।

जस्टिस सी.एस. कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के सात वरिष्ठतम जजों से मानसिक परेशानी और सामान्य जीवन को नुकसान पहुंचाने के एवज में चौदह करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। जस्टिस कर्णन ने पत्र के मिलने के सात दिनों के भीतर ये मुआवजा देने को कहा है। जस्टिस कर्णन ने इन जजों को सम्बोधित पत्र में कहा है कि अगर आपने ये मुआवजा नहीं दिया तो आपको अपने न्यायिक कार्यों से हटा दिया जाएगा। जस्टिस कर्णन ने सात जजों की संविधान बेंच के गठन को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है।

जस्टिस कर्णन ने दिया मुख्य न्यायाधीश पर केस का आदेश

पश्चिम बंगाल के डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्थ ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से जारी जमानती वारंट कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्णन को सौंप दिया। इस पर जस्टिस कर्णन ने अपने आवास पर ही 'अदालत' बिठाकर वारंट को खारिज कर दिया। साथ ही वारंट जारी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर समेत सात सदस्यीय पीठ के सभी जजों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दे डाला। देश के न्यायिक इतिहास में अपनी तरह का यह पहला मौका है।

इससे पहले डीजीपी कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार, विधाननगर पुलिस आयुक्त ज्ञानवंत सिंह व एडीजी (सीआईडी) समेत कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों व कर्मियों संग जस्टिस कर्णन के आवास पर पहुंचे और उन्हें गत 10 मार्च को जारी जमानती वारंट सौंपा। वारंट के अनुसार जस्टिस कर्णन को 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है, हालांकि वह 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पा सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को अवमानना के मामले में गत 13 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के वर्तमान जज के खिलाफ इस तरह से वारंट जारी नहीं किया जा सकता। कर्णन ने कहा, 'मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सामने खुद को ही हंसी का पात्र बना लिया है। सातों न्यायाधीश कानून नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगाता। सातों को इस्तीफा देना होगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैं अपने आदेश के सात दिनों के अंदर जजों से 14 करोड़ रुपये की मानहानि राशि की मांग करता हूं। मैंने सात न्यायाधीशों की पीठ को पत्र लिखकर मान्य कारण बताकर वारंट को खारिज कर दिया है।' उन्होंने इसके लिए 8 मार्च से अपने न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों पर लगी रोक को भी एक प्रमुख कारण बताया है।

सम्पादकीय ....

शिक्षण संस्थान बने राजनैतिक अखाड़े

हमारे देश में पिछले कुछ समय से देश के विश्वविद्यालय राजनैतिक अखाड़े में परिवर्तित होते जा रहे हैं जो बहुत गंभीर व चिन्ताजनक है अभी हाल ही में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने 24 छात्रों द्वारा बदसलूकी किये जाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले भी देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों के द्वारा हिंसा की वारदातें हुई हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि असहमति का सम्मान किया जावे और विरोधी विचारधाराओं के प्रति भी सहिष्णुता बढ़ती जाये किन्तु खेद की बात यह है कि भारत में दिन-प्रतिदिन यह भावनाएं लुप्त होती जा रही है और वह हिंसा में परिवर्तित हो रही है।

देश के विश्वविद्यालयों में हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालय में रोहित बेमुला के आत्महत्या के कारण जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसके बाद यादवपुर विश्वविद्यालय को भी अपनी जद में ले लिया। गत वर्ष जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का विवाद मीडिया में प्रमुखता से छाया रहा। हर परिवारों का यह सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और भविष्य में प्रगति करते हुए एवं उच्च आदर्शों का पालन करते हुए अपनी मंजिल प्राप्त करे किन्तु चिन्ताजनक स्थिति यह है कि आज शिक्षा में तो बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है लेकिन हमारे शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा का पूर्णतया अभाव रहा है। परिणामस्वरूप छात्रों व शिक्षकों के मध्य गंभीर विवाद हिंसा में बदल रहे हैं। शिक्षक का सम्मान जैसी सोच अब शिक्षा का हिस्सा नहीं रहा है। शिक्षण संस्थाओं में भिन्न-भिन्न विचारों के राजनैतिक संगठन दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिन छात्रों ने अपनी शिक्षा के दौरान राजनीति को अपना भविष्य बनाना चाहा वह आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि बने हुए हैं और यही आकांक्षा अन्य छात्रों में भी तेजी से बढ़ रही है।

मुझे स्मरण है कि वर्ष 1960 के दशक में रामगढ़ शेखावाटी कॉलेज के प्रिंसिपल के समक्ष कुछ छात्रों ने छात्र संगठन का प्रस्ताव जब प्रिंसिपल के समक्ष रखा तब प्रिंसिपल ने उन तमाम छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उन्हें सुना और उनसे लिखित स्वीकृति प्राप्त की कि वह छात्र संगठन बनाना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने उन छात्रों के प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से उन छात्रों का निलम्बन संस्थान से कर दिया और घर भेज दिया। जब छात्रों के अभिभावकों ने प्रिंसिपल से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि यह संस्थान उन छात्रों के लिए है जो यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं न कि उनके लिए जो यहां राजनीति करने आते हैं। अगर ये छात्र यहां रहे तो इस विद्यालय का नुकसान करेंगे और बाहर रहेंगे तो देश का नेतृत्व कर सकेंगे जिससे विद्यालय भी बचेगा और देश भी।

आज परिस्थितियां बदल गई है किन्तु यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि छात्रों को अपना समय शिक्षा में लगाना चाहिए या शिक्षण संस्थानों को राजनैतिक अखाड़ा बनने देना चाहिए? यह निर्णय देश को करना है।

जाकिर नाइक को झटका
आईआरएफ को बैन करने का फैसला भारत के हित में

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केन्द्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही। केन्द्र के फैसले को चुनौती देने वाली नाइक की संस्था की याचिका में 'दम नहीं' होने की बात कहते हुए अदालत ने कहा कि सरकार का आदेश 'मानना और अवैध नहीं' था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, ''केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए लिया गया था।'' अदालत ने सरकार के इस दावे पर भी सहमति जताई कि यह आदेश अच्छी तरह विचार करने के बाद दिया गया था क्योंकि यह डर भी था कि युवा लोग आतंकी समूहों से जुड़ने के लिए चरमपंथ की चपेट में आ सकते हैं। अदालत ने कहा कि सरकार ने नाइक के संगठन पर प्रतिबंध को तत्काल लागू करने के अपने फैसले के समर्थन में अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश किए हैं। सरकार ने अदालत से कहा था कि संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूरी साक्ष्य उनके पास पर्याप्त संख्या में हैं। अदालत ने संगठन पर तत्काल प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ आईआरएफ की याचिका पर एक फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केन्द्र ने अदालत के समक्ष वे फाइलें और सामग्रियां भी पेश की थीं, जिनके आधार पर फैसला लिया गया था। आईआरएफ ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय की 17 नवम्बर 2016 की याचिका को चुनौती दी थी। मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया था। केन्द्र की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति सचदेवा ने कहा कि सरकार ने इस कदम के लिए कारण बता दिए हैं और यह कहना गलत होगा कि प्रतिबंध से पहले उन्हें विस्तृत कारण नहीं बताए गए। इसी बीच, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण को इस फैसले के निष्कर्षों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अपने समक्ष आए मुद्दे पर उसके गुण-दोष के आधार पर फैसला करना चाहिए। आईआरएफ ने कहा था कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना ऐसा कोई कारण या सामग्री नहीं पेश करती, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नियम के तहत ऐसा कदम उठाने के लिए जरूरी होती हैं। आईआरएफ ने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि केन्द्र ने इसके जवाब में कहा कि आईआरएफ, उसके अध्यक्ष नाइक और उसके सदस्यों द्वारा जारी किए गए कथित बयानों और भाषणों से भारतीय युवाओं के आईएसआईएस जैसे आतंकी समूहों से जुड़ने के लिए चरमपंथ की चपेट में आ जाने या उकसावे का शिकार बनने का डर था। इसलिए ऐसे तात्कालिक कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई। युवाओं के चरमपंथ की चपेट में आने का डर वैश्विक चिंता का विषय है। केन्द्र के रुख से नाराज आईआरएफ के वकील ने यह भी कहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर यदि कुछ किया जाता है तो उसके लिए किसी संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। वकील ने कहा था, ''आईआरएफ मामले में आरोपी नहीं है और नाइक के खिलाफ दर्ज अपराध रिपोर्ट वर्ष 2012-13 की है।''

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में नहीं होगी मीडिया की भूमिका की जांच

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला प्रकरण में मीडिया की भूमिका की जांच विशेष जांच दल से कराने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौदर के खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार हरि जयसिंह की जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा- हम मीडिया के ख्लिाफ किसी भी जांच का निर्देश उस समय तक नहीं देंगे जब तक उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं हो।

पीठ ने कहा- ऐसा लगता है कि यह मीडिया की स्वतंत्रता और आजादी को सीमित करने का चोरी छिपे किया जा रहा प्रयास है। यह मीडिया पर हमला है। हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हम इस तरह से मीडिया के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। हम इस पर क्यों विचार करें। अदालत ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसियों को किसी व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में साक्ष्य मिलता है तो वे जांच के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन समूचे मीडिया की भूमिका की जांच नहीं हो सकती।

सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने आरोप लगाया कि मीडिया के कुछ सदस्यों को इस हेलिकॉप्टर कंपनी ने इस सौदे में अपने पक्ष में फैसले के लिए प्राधिकारियों को प्रभावित करने के इरादे से रिश्वत दी थी। उन्होंने कहा- मैं तसे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को यह निर्देश देने का अनुरोध कर रही हूं कि इस मामले में मीडिया की भूमिका की भी जांच की जाए। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मीडिया की भूमिका की जांच कैसे हो सकती है जब यह आरोप है कि दो लोगों में मीडिया प्रबंध समझौता हुआ था।

पीठ ने जानना चाहा- क्या यह समझौता पंजीकृत है। साक्ष्य के रूप में इस समझौते की स्वीकार्यता क्या है। इससे मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और उसका गला घोंटा जाएगा। हम इस पर विचार नहीं करेंगे। सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मीडिया के कुछ लोगों को इस हेलिकॉप्टर सौदे की हिमायत के लिए रिश्वत दी गई और अनावश्यक लाभ पहुंचाए गए। यह भी आरोप लगाया कि कुछ पत्रकारों को उनके परिवारों के साथ कंपनी ने इटली भी भेजा था।

केवल जेएनयू में ही क्यों होते हैं इतने प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों को प्रशासनिक ब्लॉक के समीप प्रदर्शन करने की इजाजत देते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी, जिससे बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर मंथन किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि पिछले नौ महीने में जेएनयू में 92 प्रदर्शन हो चुके हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन का काम भी प्रभावित हो रहा है। नौ मार्च के आदेश को संशोधित करते हुए अदालत ने कहा कि छात्रों को प्रशासनिक ब्लॉक के नजदीक प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उन्हें यह शर्त भी माननी होगी कि प्रवेश और निकास द्वार के समीप प्रदर्शन नहीं करेंगे और ध्वनि का स्तर भी कम रहेगा।

पिछले आदेश में पीठ ने छात्रों को प्रशासनिक ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी पर ही प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी। प्रशासन की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि पीठ पुराने आदेश में परिवर्तन न करे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन करने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब वह लोगों की नोटिस में ही न आए। पीठ ने कहा कि केवल जेएनयू के छात्र ही परिसर के अंदर प्रदर्शन कर सकते हैं। बाहरी संगठनों को यहां प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने कहा कि इस बात पर भी आत्ममंथन होना चाहिए कि केवल जेएनयू में ही इतने प्रदर्शन क्यों होते हैं। प्रत्येक माह लगभग 10 प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। सभी प्रदर्शनों के कारण बेकार और तुच्छ नहीं हो सकते हैं।

थप्पड़ खाने के लिए वोट नहीं देते!

वेद व्यास

- अब हम ग्लोबल (वैश्विक) महाशक्ति बनने के प्रयास में पिछले 25 साल के भीतर चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गए हैं। इस कारण हमारी 123 करोड़ से आगे बढ़ती आबादी तरह-तरह की समस्याओं, चुनौतियों और अन्तर्विरोधियों से घिरी हुई है और इस देश का लोकतंत्र अपराध, भ्रष्टाचार और गैर बराबरी की महाभारत में फंसा हुआ है। विकास और परिवर्तन का खेल कुछ इस तरह खेला जा रहा है कि महात्मा गांधी का 'हिन्द स्वराज' तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अखाड़ा बन गया है तो सामाजिक, आर्थिक समानता का अम्बेडकर का संविधान भी गैर बराबरी के महायुद्ध में बदल गया है। तो गंदी राजनीति के गंदे कारोबार से भारत के गणतंत्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक सभी तरफ जाति, धर्म, आतंकवाद और हिंसा-प्रतिहिंसा के ज्वालामुखी सुलग रहे हैं। एक समस्या को सुलझाने में दस मुसीबतें उलझा रही हैं। क्योंकि भूख अज्ञान और हिंसा की तथा बड़े और धनी देशों को लाभ और प्रभुसत्ता की प्रेतछाया, कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यही हमारी नई गीता का सार है कि कर्म करो और फल की इच्छा त्याग दो।
- अब हमारे महान लोकतंत्र की अलौकिक विशेषता ही ये है कि, जो जनता, सरकार को बनाती है वही जनता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक और ग्रामसभा से लोकसभा तक अपने अधिकार और न्याय की हर बात के लिए पुलिस और प्रशासन के जूते और लाठी-गोली भी खाती है तो अपने घर-परिवार की खैरियत मांगते हुए धर्मस्थलों में सवामणी प्रसादी भी चढ़ाती है। हमारी एक ज्ञानधारा यह भी है कि जो भगवान के बाद केवल पुलिस, अदालत से ही डरती है और शक्ति की ही भक्ति करती है। दुर्भाग्य से इस लोकतंत्र में पुलिस और प्रशासन को ही आम आदमी ने 'शक्ति पीठ' मान लिया है क्योंकि उसके पास संविधान और सरकारी लाठी, गोली, बंदूक, जेल और वर्दी है। पिछले दिनों तथा वर्षों में हमने प्रदेश में ही कुछ ऐसा विकास और परिवर्तन देखा कि पुलिस को जनता ही पीट रही है, थानों का घेराव हो रहा है और सत्ता पार्टी ही अपनी पुलिस की वर्दी फाड़ रही है। नागौर, अजमेर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर आदि से ये ही आवाजें और तस्वीरें आ रही हैं कि हमने थप्पड़ खाने के लिए वर्दी नहीं पहनी है।
- आरोप बनाम प्रत्यारोप और जनता बनाम पुलिस का यह नया धारावाहिक हमें कई संदेश देता है और कहता है कि पुलिस आज पूरी तरह लोकतंत्र में केवल सत्ता पार्टी की (कोई सरकार हो) संकटमोचक बन गई है क्योंकि सरकार

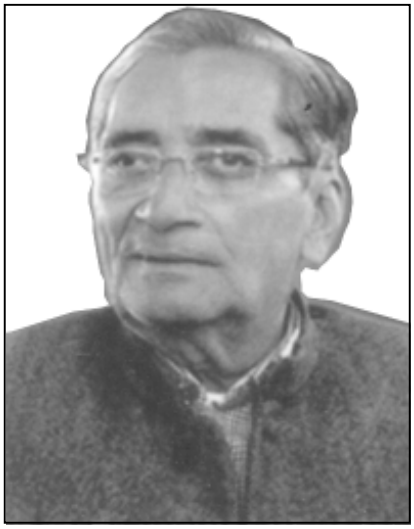

के पास आम आदमी की समस्याओं का कोई हल नहीं है तथा जनता के असंतोष को दबाने-कुचलने में सबसे बड़ी संगठित रक्षा सेना उसके अधीन में पुलिस ही है। राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और छोटी से बड़ी अदालतों का रिकॉर्ड भी बताता है कि आम जनता की 90 प्रतिशत शिकायतें इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही आती हैं और सरकार ने भी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पुलिस का उपयोग और दुरुपयोग करना अपनी राजनीति की रक्षा का लाइसेंस मान लिया है क्योंकि पुलिस और प्रशासन का पहला माई-बाप ये जन प्रतिनिधियों की चुनी हुई सरकार ही होती है।
- हजारों साल से राजा और प्रजा के बीच पुलिस और प्रशासन ही सभी समस्याओं की जड़ भी है तो हर मर्ज की दवा भी है। लोकतंत्र के पिछले 70 साल बाद भी पुलिस-प्रशासन का और राजनेताओं की राजनीति का, हम भारत के लोगों में कोई विश्वसनीय चेहरा, चाल और चरित्र नहीं बन पाया है अपितु राजनीति और पुलिस का 'चोली-दामन' का रिश्ता-नाता हो गया है। आज भी गरीब और शरीफ आदमी पुलिस और अदालत से डरता है क्योंकि भगवान की तरह पुलिस ही उसकी रक्षक और भक्षक है तथा मरने-जीने की अंतिम शरणस्थली भी है।
- इधर लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी भूलभुलैया और उलटबासी ये है कि 'कानून का शासन' और सरकार का इकबाल कायम करते-करते पुलिस-प्रशासन की मानसिकता जनता से ज्यादा सरकार और सत्ता के प्रति अधिक वफादार हो गई है और मजाक यह भी है कि 70 साल में दुनियाभर के विकास और परिवर्तन हो गये हैं लेकिन पुलिस सुधार, चुनाव सुधार, भूमि सुधार और प्रशासनिक सुधार जैसी सभी आवश्यकताएं मुगलकाल और ब्रिटिशकाल की तरह ही चल रही हैं, क्योंकि जनता अनादिकाल से राजशक्ति की उपासक है तो पुलिस प्रशासन भी वैदिक काल से आज तक राजभक्ति में ही वर्दी पहनकर डंडा और झंडा लहरा रहा है।
- यही व्यवस्था का खेल है कि जनता में भय का दूसरा नाम इकबाल हो गया है तो वर्दी, डंडा, बंदूक, जेल और अदालत ही अब राजधर्म मान लिया गया है क्योंकि वर्दी के अलावा और बाद में, एक पुलिस कर्मचारी के पास और क्या है। वर्दी उतारते ही तो राजा भी नंगा ही होता है और इसी अभाव अभियोग में राजनीति का दंगा होता है। ऐसी व्यवस्था में समझदार की ही मौत है क्योंकि वर्दी के पीछे सरकार है लेकिन जनता के पीछे तो उसका भय, भाग्य और भगवान ही है।
- हम जानते हैं कि पुलिस और सरकार दोनों ही जनता समाज व्यवस्था की देन है तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं लेकिन पुलिस पर आम आदमी की चढ़ाई और राजकाज में जाति-धर्म की आपराधिक नामबंदी से केवल समाज और लोकतंत्र ही कमजोर होगा और अभाव अभियोग का संघर्ष भी बढ़ेगा। सरकार, पुलिस और जनता यदि संयम नहीं रखेगी तो फिर सत्य, अहिंसा अथवा सुख-शांति कैसे बचेगी? जब हजारों साल से जनता के धैर्य की परीक्षा हो रही है तो फिर पुलिस-प्रशासन को भी अपनी सरकारी वर्दी से बाहर आकर ये सोचना चाहिए कि इधर वर्दी क्यों पिट रही है और उधर जनता क्यों हिंसक हो रही है? तो उस लोकतंत्र में राजनीति सबको क्यों लड़ा रही है और फूट डालकर राज कर रही है।

भारतीय राजनीतिक उद्योग

पांच माह में 14.5 से 330 करोड़ हुई चन्द्रबाबू नायडू के बेटे की संपत्ति

विधान परिषद चुनाव के लिए नारा लोकेश ने दाखिल किया हलफनामा

तेलगूदेशम पार्टी (तेदेपा) के महासचिव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश ने 330 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की घोषणा की। खास बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में ही उन्होंने 14.5 करोड़ की संपत्ति और 6.35 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की थी। लोकेश को राज्य विधान परिषद का सदस्य चुना जाना है।

नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में की गई घोषणा के मुताबिक, लोकेश की चल संपत्ति का मूल्य 273.83 करोड़ और अचल संपत्ति का मूल्य 56.52 करोड़ रुपये है। जबकि, उन पर 6.34 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत ऋण भी है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकेश ने बताया, 'अक्टूबर में जिस मूल्य पर मैंने हैरिटेज फूड्स लिमिटेड के शेयर खरीदे थे उसकी फेस वेल्यू की घोषणा की थी। लेकिन, उनका वास्तविक बाजार मूल्य 264.90 करोड़ रुपये है और चुनाव आयोग के मानकों के मुताबिक मैंने अब बाजार मूल्य की घोषणा की है। मेरी संपत्तियों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि न तो मैंने हैरिटेज के शेयर खरीदे हैं और न ही अपने शेयर बेचे हैं। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है और इसका (शेयर) वर्तमान मूल्य 1,083.30 रुपये है। जो कुछ है यही है।' उन्होंने दावा किया, 'हमारा परिवार दूध और सब्जियां बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है। हम सही तरीके से धन अर्जित करते हैं, न कि संदेहास्पद तरीकों से।'

हलफनामे के मुताबिक, लोकेश की पत्नी ब्रह्माणी के पास 17.90 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 9.75 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। जबकि, अक्टूबर में दाखिल हलफनामे में उनकी पत्नी के पास 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की थी। उसी हलफनामे में उन्होंने पुत्र देवांश के पास 9.06 करोड़ रुपये कीमत का एक घर, उनके नाम पर 2.4 करोड़ रुपये के फिक्स डिपॉजिट और 2.31 लाख रुपये नकदी की घोषणा की थी। वर्तमान हलफनामे में उन्होंने अपने पुत्र की संपत्ति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाया है।

कलिखो पुल की पत्नी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मांगा इंसाफ

नई दिल्ली। देशभर की तमाम सोसाइटी और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं ने स्वराज अभियान की अगुआई में बड़ी संख्या में मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कलिखो पुल की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने आत्महत्या से पहले जो नोट लिखा है उसमें राजनीति और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से लिखा है।

वे घूस देकर आगे बढ़ सकते थे लेकिन वे सच के लिए खड़े हुए। मैं यहां सिर्फ उनके लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ने आई। मैं भारत के सभी लोगों के लिए इस न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराने के बजाए उसे दबाने की कोशिश हो रही है। स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने पुल की आत्महत्या से पहले की डायरी पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने इशारा किया कि सहारा बिरला डायरी और कलिखो पुल डायरी में सीधा संबंध हो सकता है और दोनों में ही स्वतंत्र जांच की जरूरत है। प्रशांत भूषण ने कहा कि वास्तव में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही न होना ही भ्रष्टाचार की जड़ है। सीआइसी के निर्देश के बावजूद राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के अधीन आने को तैयार नहीं है। और तो और, हाल ही में वित्त मंत्री की बजट घोषणा ने तो इन फंडिंग प्रावधानों को पारदर्शी बनाने के बजाए और भी रहस्यमय बना दिया है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट की अरुणा राय ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार और अन्याय से आजादी चाहिए। भ्रष्टाचार और अन्याय एक साथ चलता है।

सरकार हमें खामोश करने की कोशिश कर रही है। सवाल उठाने पर रोक लगा दी गई है। माकपा नेता प्रकाश करात ने आरोप लगाया कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद से राजनीतिक व्यवस्था और कालेधन के नेटवर्क का गठजोड़ मजबूत हुआ है।

भ्रष्टाचार वेश्यावृति से भी ज्यादा घातक : कोर्ट

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की विशेष अदालत की न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने भ्रष्टाचार को वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा बुरा बताया है। झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीबों के लिए पुनर्वास कॉलोनी में आवंटित 28 प्लाट हड़पने के मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिला केवल अपनी नैतिकता को खतरे में डालती है, लेकिन भ्रष्टाचारी पूरे देश की नैतिकता को खतरे में डाल देता है। भारत का नागरिक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भ्रष्टाचार को इस कदर कुचल दें कि वह दोबारा अपना सिर नहीं उठा सके। उन्होंने मामले में नगर निगम के पूर्व संयुक्त निदेशक सहित चार को चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने कहा कि पेश मामले में निगम के स्लम एवं जेजे विभाग के संयुक्त निदेशक कुंदन लाल, प्लॉट के दस्तावेजों की जांच करने वाली समिति से जुड़े रामचरण कमल, फील्ड इंस्पेक्टर शंकर सहानी के पास यह विशेषाधिकार था कि वह जरूरतमंद गरीबों को उनकी झुग्गी के एवज में पुनर्वास कॉलोनी में प्लॉट आवंटित करें, लेकिन उन्होंने गरीबों के हक को अपने निजी फायदे के लिए प्रॉपर्टी डीलर भार एस संधू की मदद से हड़पने का प्रयास किया। ऐसे में वह किसी प्रकार की नरमी बरते जाने के हकदार नहीं हैं।

अदालत ने कुंदन लाल पर 50 हजार, राम चरण कमल और शंकर साहनी पर 25-25 हजार और प्रॉपर्टी डीलर भार एस संधू पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पेश मामले में एसीबी ने नगर निगम, दिल्ली सरकार व डीडीए से जुड़े कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 10 को सुबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।

वर्ष 2001 में पुश्ता और गौतमपुरी-1 में स्थित झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मलस्वा पुनर्वास कॉलोनी में प्लॉट दिए जाने थे। उक्त अधिकारियों ने 28 प्लॉट को फर्जी राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाकर प्रॉपर्टी डीलरों को दिलवा दिए। बाद में इन्हें बेचने का प्रयास किया गया। प्रत्येक प्लॉट के लिए डीडीए ने 29 हजार और दिल्ली सरकार ने 10 हजार रुपये का सहयोग दिया था। ऐसा करके दोषियों ने सरकारी खजाने को कुल 10.92 लाख का नुकसान पहुंचाया।

विभागों में भ्रष्टाचार के 730 केस लंबित

नई दिल्ली। कई सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लंबित पड़ी हुई है। खास बात यह है कि इस सूची में रेलवे शीर्ष पर है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे में भ्रष्टाचार के 730 मामलों की जांच लम्बित है, जिनमें 350 वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े हैं। इसी तरह, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में 526 और दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के 193 मामलों की जांच लम्बित है। आंकड़े बताते हैं कि इसी तरह के 164 मामले भारतीय स्टेट बैंक में, 128 बैंक ऑफ बड़ौदा में व 82 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लम्बित हैं। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक में 100, सिंडिकेट बैंक में 91, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 50, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 47, प्रसार भारती में 41, कॉर्पोरेशन बैंक में 36, एयर इंडिया में 26, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 30 और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में 2 मामले अनुशासनात्मक जांच के लम्बित पड़े हैं।

ये आंकड़े सीवीसी की अपनी ओर से की गई पहल पर आधारित हैं, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी लाई जा सके। दरअसल, सीवीसी ने विभिन्न सरकारी विभागों से एक निर्धारित प्रारूप में वरिष्ठ और कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों का ब्यौरा तलब किया था। जवाब में आयोग को 290 संगठनों की ओर से जानकारी मुहैया कराई गई है। सीवीसी की ओर से सभी विभागों को जारी निर्देश में कहा गया है कि आयोग समय-समय पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासनात्मक प्रक्रिया तेजी से पूरी करने की जरूरत पर बल देता रहा है। इसके मुताबिक, बार-बार कहे जाने के बावजूद यह देखा गया है कि इस कार्य के प्रति संबंधित अनुशासनात्मक अधिकारी जरूरी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से मामलों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब होता है। लिहाजा, विभिन्न संगठनों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि ऐसी सभी लंबित रिपोर्टों को जल्द से जल्द पूरा करें। इन निर्देशों की अवज्ञा को प्रतिकूल व्यवहार माना जाएगा।

खरी-खरी

न्यायिक 'कर्णन' का संक्षिप्त वर्णन : डुबोकर डूबेंगे

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail : manchandkhandela.@gmail.com

अभी तक यह कहा जाता रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन में से दो स्तम्भों- विधायिका एवं कार्यपालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार, अनियमितता, अकर्मण्यता, भाई-भतीजावाद, उत्तरदायित्वहीनता, संवेदनहीनता, अपारदर्शिता के पर्यायवाची हो गये हैं। एक सीमा तक यह बात है भी सत्य के बहुत करीब। क्योंकि केन्द्र एवं राज्यों की प्रायः हर सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। संबंधित राजनीतिबाज और नौकरशाह अपनी गरिमा, प्रतिष्ठा, छवि, लोकप्रियता, आत्मसम्मान, इज्जत आदि की भेंट चढ़ा कर ऊपर वर्णित सभी प्रकार की विशेषताएं बनाए रखते हैं। इस पर नियंत्रण के लिये अंतिम सहारा न्यायपालिका को माना जाता रहा है। जबकि यह भी वास्तविकता न होकर भ्रम ही है। यह पूर्व में तडिपार साठ सैंकड़ों की संख्या में गुजरात दंगों में लोगों के मारे जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी से राजधर्म निभाने की सीख लेने वाले नरेन्द्र मोदी, हर संगीन मामले में साफ बरी हो जाने वाले सलमान खान जैसे मामलों में कई बार सिद्ध हो चुकी है। चाहे कोर्ट की अवमानना के डर से इस मुद्दे पर कभी सार्थक चर्चा, परिसंवाद, लेखन न हुआ हो। अब जब जस्टिस कर्णन मामले ने जजों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, घनघोर किस्म की अनियमितताएं अधिकार को ताकत बनाने की मानसिकता 'तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाऊं' की घालमेल, काले कोट में छिपी काली हरकतें, न्याय के नाम पर सौदेबाजी आदि सार्वजनिक हो चुका है तो लोकतंत्र की रक्षा के लिये न्यायपालिका के कार्यों के साथ कारनामों पर भी बेबाक, बेखौफ वस्तुनिष्ठ, विस्तृत और लगातार चर्चा की जरूरत है। क्योंकि विधायिका एवं कार्यपालिका की तरह न्यायपालिका रूपी स्तम्भ भी लगातार जरजर होता जा रहा है। कटु यथार्थ तो यह है कि विधायिका एवं कार्यपालिका को जब तब बल्कि हर वक्त जरूरी एवं गैर जरूरी स्थिति में ठीक करने की एकाधिकारी न्यायपालिका को ठीक करना तो दूर कोई टोकने या टोकने की सोचता भी नहीं है। यह वास्तव में लोकतंत्र की ही उपेक्षा है।

घटनाक्रम के अनुसार जस्टिस कर्णन का तबादला जब तक कलकत्ता किया गया तो उन्होंने 'पता नहीं क्यों' भारी विरोध किया। जबकि ऐसा होना तो सामान्य प्रक्रिया है। जिसे सरकारी कर्मचारियों को तो हमेशा भुगतना ही पड़ता है। तो न्यायाधीश इस सम्बन्ध में तैयार क्यों नहीं रहे? इस प्रश्न को ही ऊपर वर्णित बुराईयों की जड़ है। इस मामले में जस्टिस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती ही नहीं दी बल्कि उसको मानने से इनकार कर दिया, तो उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय पर उनके दलित होने के कारण प्रताड़ित करने का सीधा सार्वजनिक आरोप लगाया तो केवल दस हजार रुपये के लगे जुर्माने को भी जमा नहीं करवाया। सात जजों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया गया, जिस पर कर्णन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि ऐसा स्व प्रसंज्ञान के आधार पर फैसला लिया गया था। वारंट तामील का जिम्मा पश्चिमी बंगाल के डीजीपी का था। पर वे कुछ भी सार्थक नहीं कर सके, बल्कि कर्णन ने स्पष्ट कहा कि वे अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के जजों के विरुद्ध सीबीआई जांच के आदेश देने की सार्वजनिक धमकी दी। इसे कहते हैं 'चोरी और सीना जोरी', 'चोर कोतवाल को डांटे', 'नागा बूचा सबसे ऊंचा', 'जिसकी जरगी लोई, उसका क्या करेगा कोई', 'बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा', 'गंजे के नाखून होना खतरनाक', 'इज्जत और अधिकार पाना मुश्किल है', 'व्यक्ति अपना असली रूप हर हाल में दिखाता है', 'ऊंची दुकान, फीके पकवान', 'दूर के ढ़ोल सुहावने', 'समाज की गंदगी से कोई बच नहीं सकता' जैसी कहावतों का चरितार्थ होना इस सम्पूर्ण प्रकरण से न्यायपालिका में छिपी गंदगी, दोगलापन, जजों के कारनामे, जजों की स्वार्थपरकता, अधिकार प्राप्ति का लालच, थोथी सिलिब्रिटिबाजी, वीआईपी लोगों का कटु यथार्थ, एक दूसरे के पापों को ढके रहने की मानसिकता तार-तार होकर जनता के सामने आ गई है। अब उसे पता लग गया है कि जो जज कोर्ट की मानहानि का डर दिखाते रहते हैं उनकी वास्तविक इज्जत कितनी अधिक, छवि कितनी नासाफ, मंशा कितनी कुटिल, आचरण कितना दागदार, आचरण कितना स्वार्थपरक है। न्यायपालिका में जो दिखता या दिखाया जाता है वह वास्तव में होता नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है।

प्रश्न उठता है माननीय कहे जाने वाले जजों का व्यवहार इतना गिरा हुआ, स्तरहीन, मर्यादाहीन, स्वार्थी बल्कि चालु किस्म का आखिर हो क्यों जाता है? स्पष्ट है जज कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। एक बड़े प्रतिशत में तो जज वकील कोटे से बनते हैं। इस जमात में बिल्कुल पचास वकील तो लम्बे समय से झूठ की पैरवी करते रहते हैं, जो 'नामी' हो जाते हैं वे वकालत कम और केस ज्यादा जीतवाते हैं, स्टे दिलवाते हैं और मिले स्टे को कारण-अकारण खारिज करवाते हैं। इनमें से कुछ की विशेषज्ञता हर तरह के कुख्यात अपराधियों को 'बाहर निकलवाने' की होती है। अंकल जज की सहायता व प्रभाव से 'बड़े' बनने वाले वकीलों की होली अलग ही कारणों से मामला पक्ष में करवाने के माहिर हो जाते हैं। कुछ प्रतिशत में वकील हड़ताल करवाने, चक्का जाम करवाने, संगठनों में चुनाव जीतने, जजों से उलझने आदि से ही अपनी 'कीर्ति' बढ़ा लेते हैं। जब इन्हीं वकीलों से जज बनाये जायेंगे तो कर्णन जैसा व्यवहार ही होगा। ऐसे लोगों में से सर्वोच्च न्यायालय में जज बन कर पहुंचते हैं। जिनके जीन्स ही विकृतियों से निर्मित होते हैं।

न्यायपालिका में बढ़ रही विकृतियों, अगरिमापूर्ण व्यवहार, आशंकित फैसलों, साफ दिखने वाला पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मामलों को निबटाने में कछुआ चाल, प्रभावशाली से प्रभावित हो जाने की मजबूरी का एक अति महत्वपूर्ण वर्तमान जज नियुक्ति व्यवस्था के कारण बढ़ता जा रहा भाई-भतीजावाद भी है। इसी कारण से उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्रायः सभी जज संभ्रान्त वर्ग के ही बनते हैं। यह सब कुछ मैरिट के नाम पर किया जा रहा है। जबकि इससे अति अल्प संख्या वाले एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के जजों में स्वाभाविक रूप से खीज, हीन भावना, प्रतिशोध के भाव जागृत हो जाते हैं। जिसमें अवसर आने पर अतिवादी कर्णन बन जाते हैं। प्रश्न उठता है आरक्षण के आधार पर विधायक व सांसद बनकर लोग सक्षम मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो सक्षम जज क्यों नहीं। इस आरक्षित वर्ग की क्षमता पर न्यायिक क्षेत्र में जितने प्रश्न उठाये जाते हैं और परोक्ष-प्रत्यक्ष रूप से जज बनने व तरक्की करने से रोकने के प्रयास होते हैं उससे हर वर्ग को तटस्थ रूप से न्याय मिलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। क्योंकि समाज के इन वर्गों के प्रति सामान्य वर्ग के जज का दृष्टिकोण माने या न माने कुछ पक्षपातपूर्ण होता ही है। ऐसे में भविष्य में सामूहिक रूप से 'कर्णन' पैदा न होने लगे इसके लिये वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में मूलाधार वाले परिवर्तन करने की जरूरत है।

प्रश्न उठता है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से ही आरक्षण की व्यवस्था जारी रहने के बावजूद भारत संसार की प्रथम पांच अंतरिक्ष, परमाणु, सैनिक, आईटी, प्रोफेशनल्स आदि में स्थान बना सकता है, विश्व की तीसरी विशाल अर्थव्यवस्था बन सकता है तथा कुछ ही समय के बाद 'विश्व गुरु' बनने की ताकत रखता है तो न्यायिक क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? विशेष रूप से तब जब न्यायिक क्षेत्र में हम संसार के श्रेष्ठतर देशों में अपना कोई विशेष स्थान नहीं रखता है। बल्कि इसे धनी, प्रभावशाली, सेलेब्रिटि, दबंग, संगठित अपराधियों, राजनीतिबाजों के समर्थन वाली और गरीब, असहाय, उपेक्षित विरोधी माना जाता है। हम इस निष्कर्ष के विरोध में चाहे कितने भी तर्क दें लेकिन इस अवधारणा को बदलने में अभी भी कई दशक लगेंगे। 'संभ्रांत न्यायाधीशों' के होते हुए भी जेलों में लाखों लोग ट्रायल नहीं हो पाने के कारण सड़ते रहें, वीआईपी कहे जाने वाले अपराधी किस्म के लोगों के मामलों की सुनवाई हेतु हमेशा 'टले' मिले, 'सबूतों के अभाव' की आड़ में हर प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हर तरह का अपराध खुलेआम करके भी इज्जत के साथ बरी होता रहे, घरघोर किस्म के 15 के करीब संगीन अपराधी संसद व हजारों विधायक बने रहे, पचास प्रतिशत से अधिक मुकदमे सरकारें के खिलाफ ही हो, सामान्य एवं सरकारी वकीलों के पास काम की अधिकता के नाम पर लाखों मामले तारीख पर तारीख के कारण पीढ़ियों तक चलते रहे, स्टे के अधिकार के कारण भारत के प्रायः सभी शहर सीमेंट के जंगल हो जायें, 9 लाख करोड़ के आयकर के मामले लम्बित रहें, 9 लाख करोड़ का एनपीए आमजन की छाती पर मूंग दल कर बैठे करती रहे, पिछले बीस वर्षों में 3.5 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर लें, खरीद फरोख्त पर आधारित सरकारें बनती रहें तो कुछ अन्यथा तो सोचना ही पड़ेगा।

इस संदर्भ में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि मैरिट की बातें करके एक समूह अपने जज तो बनाता रहा है लेकिन मैरिटोरियस फरफोरमेंस नहीं दे पाये हैं। क्योंकि वे सरकार से वेतन, भत्ते, सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों की तरह ही लेते रहने पर भी वे अपने फैसला देने वाला कर्मचारी नहीं मानते हैं, सालाना सम्पत्ति की घोषणा करने, बायोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज करने, अपने चैम्बर में सीसीटीवी लगवाने, लक्ष्य आधारित कर्म करने, लाल बत्ती के माह को नहीं छोड़ने, ओवर टाइम के लिये तैयार नहीं होने की ठसक अभी भी पाले हुए हैं। बड़े प्रतिशत में जज छपास के रोगी, वकीलों की बहस से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले बिना गहन अध्ययन के ही छोटे से फैसले सुना देने के आदती, देर से जाने, बड़ा अन्तराल करने एवं जल्दी चले जाने के लोभी, अनावश्यक सार्वजनिक समारोहों में मंचस्थ होने की कमजोरी, अपने द्वारा दिये फैसलों के अनुसार जीवन नहीं जीने के दुस्साहसी हो जाते हैं। इसीलिये फिर भी 'भी लॉर्ड' बने रहने के कारण उनमें से कई कर्णन हो जाते हैं। जब ऐसे 'कर्णन' सभी स्थापित मान्यताओं, परम्पराओं, बल्कि संविधान एवं कानून की धज्जियां खुलेआम तार-तार करेंगे, मुख्य न्यायाधीश मजबूर होकर सब कुछ सहन करते रहेंगे, सरकारें मौन साधे रहेंगी, राजनीतिबाज मजे लेते रहेंगे, 'बुद्धिजीवी' जुगाड़ बैठाते रहेंगे, जनता अपने दायित्व बल्कि अधिकार तक नहीं समझेगी, न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति 'मजे लेने' में व्यस्त रहेंगे, दूसरों को मृत्यु दंड देने वाले जरा सी चपत भी लगे तो भड़काऊ हो जायेंगे, अपने अस्तित्व को बचाने और गलतियों को छिपाने को ही अंतिम लक्ष्य मान कर पूरी व्यवस्था को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर देंगे, बात-बात पर आंदोलित हो जाने वाले आराम कर रहे होंगे तो इस तीसरे स्तम्भ को भी जरजर होने से कैसे रोका जा सकता है? ऐसे 'कर्णनों' के आचरण का संक्षेप में वर्णन यही किया जा सकता है कि 'हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे।' वे डूबे नहीं इसके लिए या तो तालाब का पानी खाली करना पड़ेगा या इनको तैरना सिखाना पड़ेगा।

गोवा में बीजेपी की सरकार के लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेवार हैं?

नई दिल्ली। राहुल गांधी, जिनके हाथों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार की कमान थी, तीन दिन तक 'गुम' रहने के बाद, एकाएक प्रकट हुए तथा बोले कि भाजपा ने गोवा तथा मणिपुर की नई सरकारें कांग्रेस के हाथों से छीन ली है, जबकि वास्तविकता यह थी कि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी।

पांचों विधानसभा के परिणाम आये, लेकिन पूर्व में तो सोनिया गांधी सामने आया करती थीं, लेकिन अब लगता है राहुल गांधी ने इसे यह जरूरी नहीं समझा। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस अध्यक्ष इलाज के लिये विदेश गयी हुई हैं।

एआईसीसी महासचिव हरिप्रसाद ने, उड़ीसा के स्थानीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए, पार्टी के महासचिव पद से अपना इस्तीफा राहुल गांधी को दे दिया है। हरिप्रसाद उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि सोनिया गांधी बाहर गई हुई हैं। राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया कि चुनावी राजनीति के उतार-चढ़ाव के दौरान, यूपी में पार्टी की स्थिति कुछ खराब रही तथा 403 सदस्यों वाले सदन में केवल 7 सीटें ही जीत सकी। उन्होंने कहा कि पार्टी में संरचनात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। मीडिया के साथ उनकी बातचीत बहुत संक्षिप्त रही क्योंकि कैप्टन अमरिन्दर सिंह से भेंट करनी थी, जो अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिये, पंजाब से दिल्ली आये थे।

गोवा में पार्टी ने 17 सीटें जीती थी तथा सरकार बनाने के लिये उसे छोटी-छोटी पार्टियों के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस विधायक, एआईसीसी महासचिव तथा गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह से, उनकी बदइंतजामी के कारण, बहुत नाराज हैं तथा उनका मानना है कि इसके कारण ही वे गोवा में सरकार नहीं बना सके तथा भाजपा के मनोहर परिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में दिग्विजय सिंह के लिये अपशब्दों का प्रयोग किया गया तथा कहा गया कि दिल्ली से आने वाले ये नेता किस तरह उन्हें सरकार और सत्ता से वंचित कर देते हैं। दिग्विजय सिंह सारे दिन विधायक दल की मीटिंग में रहे किन्तु किसी सर्व-स्वीकार्य नेता को नहीं चुन पाए, सूत्रों का कहना है कि वे प्रताप सिंह राणे को सीएलपी (कांग्रेस विधायक दल) नेता बनाये जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि राणे उन्हीं की तरह एक (पूर्व) राजा है। गोवा फारवर्ड के नेता विजय सरदेसाई के साथ हुई एक मीटिंग में, सरदेसाई ने दिग्विजय सिंह के सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि नेता के रूप में केवल दिगम्बर कामथ ही उन्हें स्वीकार्य हैं तथा वे उनके साथ काम कर सकते हैं। दिग्विजय ने इस बात की जानकारी मीटिंग में नहीं दी क्योंकि, जाहिर है, वे तो अपने खुद के खेल में व्यस्त थे।

भाजपा नेताओं का कहना है कि इस समय तक, कांग्रेस ने सरकार ना तो बनाने का दावा ही पेश किया और ना ही राज्यपाल मृदुला सिन्हा से समय मांगा है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा, किन्तु परिणामों के तुरन्त बाद, गडकरी का गोवा पहुंचना तथा एमजीपी एवं गोवा फॉरवर्ड के साथ उनकी विस्तृत मीटिंग ने इस मुद्दे को भाजपा के पक्ष में कर दिया तथा कांग्रेस बैठी-बैठी कसमसा रही थी।

मणिपुर में भाजपा शपथ ले चुकी, हालांकि वहां कांग्रेस ने भी सरकार बनाने का दावा किया था। फिलहाल तो कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है। पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद भी एआईसीसी मुख्यालय सूना पड़ा है सिर्फ लटके हुए चेहरे ही नजर आते हैं। अधिकांश चर्चाएं इसी मसले पर केन्द्रित हैं कि राहुल अपेक्षित नतीजे नहीं दे सकते हैं। वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तो यहां तक कह दिया कि अब तो कांग्रेस पार्टी में शल्य चिकित्सा का समय भी निकल चुका है। लोकसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार, जब यह मात्र 44 सांसदों पर सिमट कर रह गई थी, के बाद भी संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ, पार्टी में पहले की तरह काम होता रहा। सोनिया व राहुल ने यह कह कर हार के मसले को दरकिनार कर दिया कि राजनीति में यह आम बात है। क्योंकि इसकी जिम्मेवारी तय करने से राहुल भी निशाने पर आ जाते और यह सवाल उठता कि वे कितने जिम्मेवार हैं?

मर्ज अब और बढ़ गया है। पार्टी में भ्रष्टाचार है, भाई-भतीजावाद है और टिकट वितरण भी भारी घालमेल है, चुनावी सोच में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और संगठनात्मक ढांचा खोखला है, सिर्फ प्रेस कांफ्रेंस करने या जनसभाएं करने से वोट बैंक पार्टी में नहीं लौटेगा।

समस्या यह भी है कि पार्टी के आधे वरिष्ठ नेता राहुल को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। इसलिए उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। राहुल के पास अनुभवी या राजनैतिक रूप से समझदार नेताओं की कोई टीम नहीं है। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि अगर राहुल ही कांग्रेस के सर्वेसर्वा रहे तो पार्टी का भविष्य और गहरे गर्त में जा सकता है इतना नीचे कि इससे और नीचे जाने की जगह ही ना बचे।

इसके बाद हो सकता है बहुत देर हो जाए इतनी कि पार्टी के भविष्य को पुनर्जीवित करने की संभावना ही ना बचे।

हाई कोर्ट ने दिया ममता को झटका

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुचर्चित नारद स्टिंग कांड में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई जांच का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश निशिया भात्रे व जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की पीठ ने यह फैसला सुनाया। साथ ही पीठ ने हाई कोर्ट द्वारा नारद स्टिंग से जुड़े दस्तावेज व सामग्री रखने के लिए गठित कमेटी को 24 घंटे के अंदर तमाम दस्तावेज, सामग्री, लैपटॉप, पेन ड्राइव व कैमरे सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं सीबीआई को कोर्ट ने 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश निशिया भात्रे ने कहा कि जब इस मामले में राज्य के नेता, मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी ही जुड़े हुए हैं तो पुलिस निष्पक्ष जांच कैसे करेगी? जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि समाज में इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अपराध है। इसे जनता के साथ विश्वासघात कहा जाता है। लोगों का सरकार पर विश्वास रहता है पर यहां राजनीतिक व्यक्ति ही जुड़े हुए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ही इसे सीबीआइ को सौंपा गया है। नारद न्यूज वेब पोर्टल के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने कहा कि अब स्वच्छ जांच प्रक्रिया शुरू हुई है और न्याय भी मिलेगा। हाई कोर्ट ने नारद मामले में फंसे आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ विभागीय जांच व आवश्यक होने पर निलम्बित करने का भी निर्देश दिया है।

पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की ओर से प्रदेश कार्यालय में स्टिंग वीडियो को सार्वजनिक किया गया था। मैथ्यू सैमुअल कंपनी खोलने में मदद को लेकर तृणमूल नेताओं और मंत्रियों से मिले थे। आरोप है कि मदद के नाम पर उनसे रुपए लिए गए। स्टिंग में मुकुल राय, सुव्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, शोभन चटर्जी, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, काकुली घोष दस्तिदार, मदन मित्रा, शुभेंदु अधिकारी, अपरूपा पोद्दार, शंकुदेव पंडा और आइपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को दिखाया गया था। मिर्जा पर भी रुपये लेने का आरोप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एलान किया है। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए सवाल किया कि उसके एक नेता को हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपे जाने का कैसे पता चल गया? भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके इस मामले को दबाने की कोशिश की। स्टिंग ऑपरेशन में संलिप्त दागी मंत्रियों को तुरन्त कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए।

मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपना देश भारत बहुत प्यारा है...

16 साल की आफरीन और 46 फतवे

गुवाहाटी। देश के लिए गाने वाली एक मुस्लिम किशोरी को इस्लामी धर्मगुरुओं ने एक के बाद एक 46 फतवे जारी कर डाले तथा असम की एक प्रतिभाशाली किशोरी गायिका को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से मना किया है। महज 16 साल की आफरीन ने कहा कि मैं इन फतवों से नहीं डरती और अपने देश भारत से बहुत प्यार करती हूं। मैं गायिकी नहीं छोड़ सकती। उसने कहा कि कोई धमकी मुझे गायकी से रोक नहीं सकती। असम में अपनी तरह के इस पहले मामले में जारी फतवे में इंडियन आइडल जूनियर के वर्ष 2015 के संस्करण की उप विजेता 16 वर्षीय नाहिद आफरीन को 25 मार्च को होने वाले एक संगीत कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसमें दावा किया गया है कि यह कार्यक्रम शरिया के विरुद्ध है।

मध्य असम के होजई और नागांव जिले में बड़ी संख्या में बांटे गये पर्चों के माध्यम से यह फतवा जारी किया गया। असम के मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल ने फतवे की निन्दा करते हुए पुलिस से गायिका को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने को कहा है। सोनोवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि कला और संस्कृति के खिलाफ इस तरह के आदेश अस्वीकार्य हैं और यह किसी के सांस्कृतिक अधिकारों की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बराबर है।

असमी में प्रकाशित पर्चे में 46 उलेमाओं, संगठनों और व्यक्तियों के नाम हैं। इसमें 16 वर्षीय नाहिद को मनोरंजन कार्यक्रमों से यह कहते हुए दूर रहने को कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य की पीढ़ियों को भ्रष्ट बनाएंगे। पर्चे में कहा गया है कि जादू, नृत्य, नाटक, थियेटर इत्यादि शरिया नियमों के विरुद्ध हैं। संगीत से जुड़े शो भी शरिया नियमों के खिलाफ हैं और भविष्य की पीढ़ियां इससे भ्रष्ट होंगी। इसमें कहा गया है कि मस्जिदों, ईदगाह, मदरसों और कब्रिस्तान के आसपास के इलाकों में म्यूजिकल नाइट जैसे शरिया विरोधी कार्यक्रमों के आयोजन से हमारी भावी पीढ़ियों पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तय की आपराधिक मामलों के निपटारे की समय सीमा

अधीनस्थ अदालतें हफ्तेभर में करें जमानत याचिकाओं का निपटारा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में अरसे से लम्बित पड़े आपराधिक मामलों के निपटारे के समयसीमा निर्धारित कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय पर न्याय मानवाधिकारों का ही हिस्सा है। त्वरित न्याय को नकारने से लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डिग सकता है। लिहाजा, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद इसे नकारा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की पीठ ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि वे अपनी अधीनस्थ अदालतों को निर्देश जारी करें कि वे जमानत याचिकाओं का निपटारा सामान्यत: एक हफ्ते के भीतर कर दें। साथ ही सभी मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश जारी किए जाएं कि वे छोटे अपराधों के ऐसे सभी मुकदमों का निपटारा छह महीने के भीतर कर दें जहां विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं। यही नहीं, सत्र अदालतों को ऐसे सभी गंभीर अपराधों के मुकदमों का निपटारा दो साल के भीतर करना होगा, जिनमें अभियुक्त जेल में बंद हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि पांच साल पुराने सभी मामलों का निपटारा इस साल के आखिर तक किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर विचाराधीन कैदी की हिरासत की अवधि उसे दी जाने वाली संभावित सजा से ज्यादा हो चुकी है और उसकी सजा दर्ज की जा चुकी है तो ऐसे विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत बांड पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त समयसीमा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में न्यायिक प्रदर्शन के मूल्यांकन की कसौटी हो सकती है।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने सभी हाई कोर्ट के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि उनके समक्ष दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला जहां तक संभव हो एक महीने में कर दिया जाए। आपराधिक अपीलों के ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त पांच साल से भी ज्यादा समय से बंदी है, उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों में लंबित विचाराधीन कैदियों के ऐसे सभी मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए, जिनकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है। इसके लिए प्रशासनिक और न्यायिक पहलुओं पर एक उचित निगरानी तंत्र भी बनाया जाना चाहिए। सभी हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अधीनस्थ अदालतों के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार कर जारी करें और उसकी निगरानी भी करें।

हाई कोर्ट में पेश हों आजम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और जल निगम के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि खां हाई कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई दें।

ये आदेश मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिए। आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट से जारी जमानती वारंट पर रोक लगाने और 7 मार्च को पेश होने के आदेश को चुनौती दी थी। आजम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी और प्रदेश के एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह ने चल रहे चुनावों की दुहाई देते हुए पेशी के लिए 11 मार्च के बाद की कोई तिथि देने का आग्रह किया था। आजम चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए पहले से निश्चित चुनावी दौरों और मीटिंगों में व्यस्त होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। कहा कि ये मामला एक जल निगम के सहायक अभियंता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का है। आजम शहरी विकास मंत्री होने के नाते यूपी जल निगम के अध्यक्ष हैं, लेकिन रोजाना के कामकाज से उनका लेना-देना नहीं है।

दुर्व्यवहार पर बच्चे को घर से निकाल सकते हैं माता-पिता

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि माता-पिता के साथ उनके घर में रहते हुए दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को बेदखल करने का अधिकार परिजनों के पास है।

न्यायमूर्ति ने स्पष्ट लहजे में कहा कि माता-पिता के नाम पर घर होना जरूरी नहीं है। किराये पर रहते हुए भी वह दुर्व्यवहार करने वाले अपने बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक गुजारा भत्ता ट्रिब्यूनल बुजुर्ग माता-पिता को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए और उनके आगे का जीवन शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बच्चों को घर से बेदखल करने का आदेश पारित कर सकते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के कानून ने वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार दिया था कि अगर घर खुद का हो तो जिला प्रशासन को शिकायत देने के बाद परिजन गाली गलौच व मारपीट करने वाले बच्चों को घर से निकलवा सकते हैं, लेकिन किराये पर रहने की स्थिति में बुजुर्गों को ऐसा कोई संरक्षण नहीं दिया गया था। पीठ ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया कि वह अपने कानून में जल्दी संशोधन कर नए कानून में यह सुनिश्चित करे कि किराये पर रहने की स्थिति में भी परिजन बच्चों को घर से निकाल सकें।

हाई कोर्ट के समक्ष यह याचिका नशे की हालत में माता-पिता से मारपीट करने वाले एक युवक ने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि ट्रिब्यूनल द्वारा उसे माता-पिता के सिविल लाइन स्थित घर से निकालने का आदेश देना गलत है।

हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पेश मामले में पीड़ितों को वर्ष 2007 के कानून में दिए गए उपचार मुहैया कराए जाएं। साथ ही स्थानीय एसएचओ को यह निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि युवक बुजुर्गों का घर खाली करे।

फैसले की तारीख तय करने के बाद साक्ष्य लेना गलत

हाई कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने सहकारिता न्यायाधिकरण की ओर से भूमि विवाद में फैसला देने की तारीख तय करने के बाद परिवादी को बिना बताए दूसरे पक्ष की अवैध रूप से साक्ष्य लेने और आदेश को रिकॉल नहीं करने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। अदालत ने कहा है कि इस आदेश को दौसा उपभोक्ता अदालत में तैनात तत्कालीन पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बंसल के सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने न्यायाधिकरण के आदेशों को रद्द कर दिया है।

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रजनीसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भूमि विवाद में सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ सहकारिता न्यायाधिकरण में अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने अंतिम बहस सुनकर फैसला देने की तारीख भी तय कर दी। इस बीच याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना विपक्षी रामराजपुरा सोसायटी के अध्यक्ष की ओर से पेश साक्ष्य और दस्तावेज स्वीकार कर लिए। जब याचिकाकर्ता ने आदेश रीकॉल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो आदेश भी रीकॉल नहीं किया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि न्यायाधिकरण को अपील में अपीलार्थी को बिना बताए साक्ष्य और दस्तावेज लेने का अधिकार नहीं था। ऐसे में न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया जाए।

जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी सेवानिवृत्त होकर उपभोक्ता अदालत में तैनात हैं। ऐसे में इस आदेश को उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए और उनकी ओर सहकारिता न्यायाधिकरण के तौर पर दिए गए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।

मंशा सचेत करने की थी : सुप्रीम कोर्ट

पुराने नोट बदलने संबंधी नियमों में बदलाव के खिलाफ दायर अर्जी पर केन्द्र से कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलन से बाहर की गई मुद्रा के विनिमय संबंधी नियमों में कथित रूप से बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र और रिजर्व बैंक से तत्परता से जवाब मांगने संबंधी उसके आदेश का मकसद उन्हें समस्या के प्रति सचेत बनाना था। शीर्ष अदालत ने छह मार्च को केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किए थे। अदालत ने याचिका पर जवाब देने के लिए उन्हें बहुत कम समय दिए जाने की बात पर यह टिप्पणी की।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने कहा कि हमारी मंशा कुछ करने की नहीं थी। हमारी मंशा आपको इस समस्या के प्रति सचेत बनाए रखना था। अदालत ने इस याचिका पर जवाब देने के लिए उन्हें 21 मार्च तक का समय दिया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार और आरबीआइ मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं करना चाहते बल्कि तुरन्त बहस शुरू करना चाहते हैं।

पीठ ने कहा- वे (याची) सिर्फ यही कह रहे हैं कि पहले निर्णय में एक रास्ता था। वे कह रहे हैं कि अब अध्यादेश में यह रास्ता बंद कर दिया गया है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे उसके पहले के आदेश का अवलोकन करें। अदालत ने कहा कि इसमें एक मुद्दा एकदम स्पष्ट है क्योंकि इसमें कोई बाएं, दांए और मध्य नहीं है। सभी कुछ श्वेत श्याम में है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केन्द्र और रिजर्व बैंक से जानना चाहा कि पहले किए गए वादे के अनुसार ही चलन से बाहर किए गए नोटों को 31 मार्च तक स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा।

प्रधानमंत्री ने पिछले साल आठ नवम्बर की रात किए गए सम्बोधन और इसके बाद रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया था कि चलन से बाहर की गई मुद्रा 31 मार्च, 2017 तक रिजर्व बैंक कार्यालयों में बदली जा सकती है लेकिन अध्यादेश के द्वारा यह अवसर खत्म कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ने जनता को भरोसा दिया था कि चलन से बाहर की गई मुद्रा 30 दिसम्बर, 2016 तक बैंकों, डाकघरों और रिजर्व बैंक के कार्यालयों में बदली जा सकती है और यदि उस समय ऐसा नहीं कर सके तो कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 31 मार्च, 2017 तक रिजर्व बैंक के कार्यालयों में इन्हें बदलवा सकते हैं।

अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए अदालत

नैशविल (अमेरिका)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया जिसमें अदालत ने उनके द्वारा शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों पर लगाये संशोधित अस्थाई यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि अदालत इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है।

हवाई की अदालत के फैसले के बाद नैशविल में रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि संविधान में कानून ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह देश के राष्ट्रीय हित में आव्रजन को निलम्बित कर सकता है। उत्साहित भीड़ से उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन मामले के लिए शीर्ष अदालत सहित हर जरूरी मंच पर लड़ेगा और हम इसमें जीत हासिल करेंगे।

'जितना बड़ा अपराधी, उसकी उतनी बड़ी पहुंच'

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने देश में अपराधियों और उनके रहनुमाओं के बुलंद हौसले का जिक्र करते हुए कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है, उसकी उतनी बड़ी पहुंच होती है। न्यायमूर्ति खेहर ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की 15वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते समय बम विस्फोटों, तेजाब हमलों और बलात्कार की घटनाओं के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्यायिक सेवा प्राधिकरणों से अपील की कि वे ऐसे लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें।

आतंकवादियों को कानूनी मदद को आ जाते हैं बहुत सारे

किसी खास मुकदमे का नाम लिए बिना न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि यहां तक कि पुनर्विचार याचिकाएं निरस्त होने के बाद भी आतंकवादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन बम विस्फोटों, तेजाब हमलों और अन्य घटनाओं के पीड़ितों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आता। उनका इशारा 1993 के मुम्बई बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन की ओर था, जिसकी फांसी की सजा पर रोक के लिए कई अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सामने आए थे और रात में सुनवाई की गई थी।

उनका क्या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया ?

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारा देश भी विचित्र है, जो जितना बड़ा अपराधी होता है, उसकी उतनी बड़ी पहुंच होती है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर हैरानी होती है कि उन परिवारों का क्या, जिन्होंने इन आपराधिक घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि तेजाब हमलों की उन पीड़ितों का क्या जिनके चेहरे खराब हो गए और समाज में जीने लायक उनकी स्थिति नहीं रहती है। मैं उन बलात्कार पीड़िताओं के बारे में सोचता हूं, जिनके लिए कोई कानूनी सहायता का हाथ सामने नहीं आता।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

नावक के तीर

सुन मनमोहन मस्खरी, सारा जग हैरान!
रेनकोट को पहनकर, किया कैसे स्नान?

इधर उधर चारों तरफ, करते व्यर्थ तलाश
बच्चनजी मिल जायेंगे, शौचालय के पास

श्रीमान अखिलेशजी, धन्य-धान्य हैं आप
राजनीति में बन गये, आप, बाप के बाप

लिया राहुलजी आपने, दिव्य भव्य अवतार
करने अपने ही दल का, पूरा बंटाधार

ऊल जलूल फिजूल कथन, नहीं कहीं सुर-ताल
सहज सरल कह दीजिये-नाम केजरीवाल

विज्ञापन सुंदरियों का, किया हाल बेहाल
'बाबा' बनकर ब्राण्ड, बेच रहे हैं माल

छल-कपट, गाली-गलौच, कुटिल कुत्सित दांव
समझ लें कि हो रहे हैं-इस देश में चुनाव

बिना पिये भरमाय, पीकर सिर चकराय
अजब-गजब करती असर, मोदीजी की चाय

भूख बांधी है पेट पर, अधर लिपटी प्यास
अंधी जनता दौड़ती-'अच्छे दिन' की आस

लूट-खसोट लालू ने किया बिहार कंगाल
शेष नोचने आ गये-अब लालू के लाल

मायावती को टिकट का खूब चुकाया दाम
कहीं ऐसा न हो जाये-माया मिले ना राम

रोकर बोले शाहरूख-फ्लॉप हुई 'रईस'
मुश्किल देना हो गया, दरबानों को फीस

बाहर रहकर गुजरात, नहीं हुआ बरबाद
बाहर रहने के लिए 'हार्दिक' धन्यवाद

बाला साहेब ठाकरे, थे जैसे फौलाद
उद्धव जैसी क्यों मिली मिमियाती औलाद

जरा कान खोलकर सुन लीजिए 'भंसाली'
भूलकर भी मत देना इतिहास को गाली

'आमिर' दंगल बनाकर किया बहुत नुकसान
दंगल-दंगल खेल रहा सारा हिन्दुस्तान

जो चपल-कुशल वाचाल कहलाते थे सिद्धू
खेल राजनीति में वे निकले बिल्कुल बुद्धू

लीडर भाषण कर रहे हास्य रस निर्माय
बंद नहीं करनी पड़े कहीं 'कपिल' दुकान

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।